

# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)


सरकार ..... बगाम ..... अजय

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-12 सन्-2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-12/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.01.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2078 ग्राम कोट भूमि ख0न0 1755 रकबा 0.03 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म बारानी A पर गैरसायल अजय पुत्र प्रभुदयाल यादव जाति अहीर निवासी कोट द्वारा बतीला एवं घाने डालकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश होने पर, दर्ज रजिस्टर कर, गैरसायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल द्वारा पूर्व में अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अतिक्रमण किया जाना स्वीकार कर अतिक्रमण हटाये जाने पर सहमति व्यक्त की।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.36 रुपये का 50 गुणा 18 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायगी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

श10 ल0 स0 4 वर्ष-2078 की  
पृ0 सं0-13-पर-18 रु क  
मांग कायम की गई

तहसील रजिस्टर लखाकार

  
तहसीलदार  
तहसील मण्डावर (दौसा)